उनवान– रामदयाल बनाम हरीराम

मु0न0:–76 / 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 27.09.2021

मु0न0 76 / 2021

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रामदयाल पुत्र नेता उर्फ नेतराम
2. बृजलाल पुत्र नेता उर्फ नेतराम
3. नारायणी बेवा पत्नि नेता उर्फ नेतराम

जातियान मीना निवासी सरसैना तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. हरीराम पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी सरसैना तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक 16.08.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है के ग्राम भैसीना की आराजी ख0न0 10/0.29, 11/0.08, 116/0.25, 117/0.24, 12/0.07, 123/0.25, .24/0-13, 125/0.21, 13/0.04, 14/0.06, 15/0.06, 16/0-07] 17/0.14, 18/0.26, 19/0.33, 9/1380/0.09, 2/0.21, 21/0.06, 22/0.04, 23/0.04, 24/0.05, 26/0.07, 27/0.45, 28/1381/0.07, /0.09, 4/0.09, 44/0.07, 45/0.07, 5/0.09, 54/0.38, 55/0.06, 56/0.09, 57/0.06, 58/0.06, 59/0.08, /0.10, 6/1382/0.08, 60/0.28, 61/0.15, 62/0.19, 63/0.28, 64/0.35, 65/0.07, 66/0.14, 67/0.28, /0.13, 70/0.12, 71/0.20, 8/0.10, 83/0.02, 84/0.04, 89/0.20, 9/0.10, 90/0.44 कुल किता 54 कुल क़वा 7.97 है0 मे सायलान 1/48–1/48 के खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखील है। शेष स्से के गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 33 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 2/0.33, 103/0.30, 113/0.37, 114/0.09, 115/0.24, 126/0.11, 127/0.12, 38/1385/0.02, 39/0.12, /0.27, 42/0.23, 43/0.31, 46/0.14, 47/0.14, 48/0.16, 49/0.43, 51/0.28, 52/0.38, 53/0.48, /0.32, 81/0.29, 82/0.31, 85/0.31, 86/0.17, 87/0.11, 88/0.10, 91/0.92, 92/0.99, 96/1383/0.10, /0.38, 98/0.46 कुल किता 31 कुल रकवा 08.98 है0 मे सायलान 1/18–1/18 के खातेदार श्तकार काबिज एवं दखील है। शेष हिस्से के गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 33 तेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम अनन्तपुरा की आराजी ख0न0 557/0.18, 558/0.19, 559/0.40 कुल ता 3 कुल रकवा 0.77 है0 मे सायल न0 1 व 2 के बाबा व सायल न0 3 के ससुर तथा सायल न0 1 के पिता व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 8 के बाबा रामफूल पुत्र टुण्डा के नाम तेदारी दर्ज है रामफूल की मृत्यु के पश्चात रामफूल की आरजी मे जिसमे सायलान 1/3 हिस्से भूमि पर काबिज एवं दखील चले आ रहे है और सायलान उक्त 1/3 हिस्से की तेदारी कराने के हकदार है। सायलान एवं गैरसायलान न0 1 तथा प्रतिवादी न0 2 ता 8 सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

[illegible] 15/[illegible]

[illegible]

रामपुर

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

सायलान मुकाबला गैरसायलान

सायल 1 सायल 2 सायल 3

यह है कि उक्त वर्णित आराजीयात का सायल एवं गैरसायल नं0 1 तथा सहखातेदारों द्वारा मौके पर स्थाई बटवारा कर रखा है लेकिन रिकार्ड में विधिवत बटवारा नहीं होने के कारण सायलान एवं सहखातेदारान के मध्य आये दिन डोल मेड़ पर विवाद बना रहता है तथा सायलान नं0 1 व 2 सेवा में बाहर नौकरी होने के कारण तथा सायल नं0 3 जो सायल नं0 1 व 2 की माँ की वृद्धावस्था होने के नाते [illegible] होकर अपनी उक्त खातेदारी की हिस्से की आराजी को संभालती है लेकिन गैरसायल नं0 1 जो कि सायलान का ताऊ है वह नाजायज [illegible] सायलान की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से आये दिन झगड़ा करता रहता है तथा सायलान के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करता रहता है तथा उक्त भूमि रिकार्ड में शामलाती होने का गैरसायल नं0 1 व अन्य सहखातेदार आये दिन सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने एवं उपभोग उपयोग में व्यवधान पैदा करते रहते है जिसका गैरसायल नं0 1 व अन्य सहखातेदारान को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

जैसा दिनांक [illegible] को सायलान नं0 2 व 3 अपने हिस्से में खड़ी फसल की [illegible] को देखने गये तो सायल नं0 2 व 3 ने देखा कि गैरसायल नं0 1 सायलान की डोल को तोड़कर [illegible] की भूमि में मिलाने का प्रयास कर रहा था तो सायल नं0 2 व 3 ने कहा कि भाई [illegible] कब्जे की आराजी की डोल क्यों तोड़ रहे हो तो गैरसायल नं0 1 ने कहा कि मैं तुम्हारे कब्जे की आराजी पर कब्जा करूंगा क्योंकि रिकार्ड में तुम्हारे कब्जे वाली भूमि में मेरा नाम है जिस पर सायलान ने विधिवत बटवारा करने को कहा तथा बाबा रामफूल के नाम वाली जमीन का नामांतरण खुलवाने को कहा तो गैरसायल नं0 1 ने मना कर दिया तो सायलान द्वारा अन्य [illegible] के समक्ष में [illegible] विधिवत बटवारा करने को कहा तो वह टालमटोल करने लग गया कि सायलान को [illegible] करने की धमकी दी जिस पर सायल नं0 2 द्वारा पटवारी हल्का से रामफूल वाली आराजी का विरासत के आधार पर नामांतरण खोल खातेदारी करने को कहा किन्तु पटवारी हल्का द्वारा नहीं खोला गया जिस कारण सायलान को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बखिलाफ गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्रथमदृष्टया केस मजबूत साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई भी किसी प्रकार की नहीं है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] गैरसायल को [illegible] [illegible] 10/0.29, 11/0.18, [illegible] 0.24, 12/0.07, [illegible], 13/0.04, 14/0.16, [illegible], 21/0.21, [illegible], 22/0.14, 23/0.14, [illegible], 99/0.44, 102/0.33,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
[illegible]

103/0.30, 113/0.37, 114/0.09, 115/0.24, 126/0.11, 127/0.12, 38/1385/0.02, 39/0.12, 41/0.27, 42/0.23, 43/0.31, 46/0.14, 47/0.14, 48/0.16, 49/0.43, 51/0.28, 52/0.38, 53/0.48, 80/0.32, 81/0.29, 82/0.31, 85/0.31, 86/0.17, 87/0.11, 88/0.10, 91/0.92, 92/0.99, 96/1383/0.10, 97/0.38, 98/0.46 तथा ग्राम अनन्तपुरा की आराजी ख0न0 557 / 0.18, 558 / 0.19, 559 / 0.40 मे सायलान के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे नाही किसी अन्य से करावे। सायलान की भूमि पर कब्जा नही करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायलान वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीया ग्राम भैसीना की आराजी कुल किता 54 कुल रकवा 7.97 है0 मे सायलान प्रत्येक 1 / 48—1 / 48 हिस्से के खातेदार काश्तकार तथा कुल किता 31 कुल रकवा 8.98 है0 मे सायलान प्रत्येक 1 / 18—1 / 18 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से मे गैरसायल व मूल दावे के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम अनन्तपुरा की आराजी ख0न0 557/0.18, 558/0.19, 559/0.40 कुल किता 3 कुल रकवा 0.77 है0 मे सायल न0 1 व 2 के बाबा व सायल न0 3 के ससुर तथा गैरसायल न0 1 के पिता व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 8 के बाबा रामफूल पुत्र टुण्डा के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्णित आराजीयात का सायल एवं गैरसायल न0 1 तथा सहखातेदारो द्वारा मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने के कारण सायलान एवं सहखातेदारान के मध्य आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है, गैरसायल न0 1 जो कि सायलान का ताउ है वह नाजायज फायदा उठाकर सायलान की भूमि को हडपने के उद्देश्य से आये दिन झगडा करता रहता है तथा सायलान के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करता रहता है तथा उक्त भूमि रिकार्ड मे शामलाती होने का गैरसायल न0 1 व अन्य सहखातेदार आये दिन सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने एवं उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा करते रहते है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल न0 1 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायलान के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे नाही किसी अन्य से करावे। सायलान की भूमि पर कब्जा नही करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नही करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम भैसीना की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के खाता न0 70 मे कुल किता 54 कुल रकवा 7.97 है0 मे सायलान प्रत्येक 1 / 48—1 / 48 हिस्से के तथा गैरसायल न0 1 हिस्सा 1 / 32 हिस्से का तथा खाता न0 71 मे कुल किता 31 कुल रकवा 8.98 है0 मे सायलान प्रत्येक 1 / 18—1 / 18 हिस्से का तथा गैरसायल न0 1 हिस्सा 1 / 6 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 1 ने मूल दावे मे प्रथम नियत पेशी पर उपस्थिति दर्ज करवाई लेकिन बाद मे उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे [illegible] न0 1 [illegible] अनुपस्थित न्यायालय रहे है। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान [illegible] साबित है।
2. **सुविधा का संतुलन:—** पत्रावली मे शामिल [illegible] प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष मे साबित [illegible] सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षति:—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि गैर[illegible]ल न0 1 को पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

उक्त तीनो बिन्दु सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः गैरसायलान को ता.दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भैसीना की आराजी ख0न0 10/0.29, 11/0.08, 116/0.25, 117/0.24, 12/0.07, 123/0.25, 124/0.13, 125/0.21, 13/0.04, 14/0.06, 15/0.06, 16/0.07, 17/0.14, 18/0.26, 19/0.33, 19/1380/0.09, 2/0.21, 21/0.06, 22/0.04, 23/0.04, 24/0.05, 26/0.07, 27/0.45, 28/1381/0.07, 3/0.09, 4/0.09, 44/0.07, 45/0.07, 5/0.09, 54/0.38, 55/0.06, 56/0.09, 57/0.06, 58/0.06, 59/0.08, 6/0.10, 6/1382/0.08, 60/0.28, 61/0.15, 62/0.19, 63/0.28, 64/0.35, 65/0.07, 66/0.14, 67/0.28, 7/0.13, 70/0.12, 71/0.20, 8/0.10, 83/0.02, 84/0.04, 89/0.20, 9/0.10, 90/0.44 , 102/0.33, 103/0.30, 113/0.37, 114/0.09, 115/0.24, 126/0.11, 127/0.12, 38/1385/0.02, 39/0.12, 41/0.27, 42/0.23, 43/0.31, 46/0.14, 47/0.14, 48/0.16, 49/0.43, 51/0.28, 52/0.38, 53/0.48, 80/0.32, 81/0.29, 82/0.31, 85/0.31, 86/0.17, 87/0.11, 88/0.10, 91/0.92, 92/0.99, 96/1383/0.10, 97/0.38, 98/0.46 तथा ग्राम अनन्तपुरा की आराजी ख0न0 557 / 0.18, 558 / 0.19, 559 / 0.40 है0 मे सायलान के हिस्से की आराजी मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested